

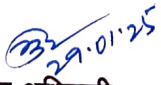
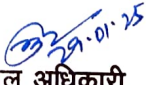
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 28/सन-2024- 25

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
29.01.2025	-:आदेश:- यह विविध वाद अभिलेख सं०- 28/2024- 25 आवेदक रामदेव प्रसाद वर्णवाल, पिता- पियारी मोदी, साकिन- उपरैली धनवार, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 07, श्री धनंजय प्रसाद के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- उपरैली धनवार, थाना नं०- 213 के भौतिक पंजी- ॥ के भाग सं०- 1, पृष्ठ सं०- 229 पर बन्धनी देवी, पति- प्यारी मोदी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। परन्तु ऑनलाइन पंजी- ॥ में बन्धनी देवी, पति- एतवारी मोदी के नाम से दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उक्त जमाबंदी जिस केवाला दलील के आधार पर कायम है, उसमें बन्धनी देवी के स्थान पर बान्धो कुमारी तथा पति का नाम एतवारी मोदी के स्थान पर पियारी मोदी दर्ज है। उन्होंने केवाला दलील के आधार पर ऑनलाईन पंजी- ॥ में उक्त दर्ज जमाबंदी में सुधार करने की अनुशंसा की है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा- उपरैली धनवार/213 के ऑनलाईन पंजी- ॥ के भाग सं०- 01, पृष्ठ सं०- 229 पर दर्ज जमाबंदी में सुधार कर जमाबंदी रैयत का नाम बान्धो कुमारी तथा पति का नाम पियारी मोदी करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख, जमाबंदी रैयत के वारिशानों के द्वारा समर्पित किए गए शपथ पत्र सं०- 166/24.01.2025 एवं शपथ पत्र सं०- 138/25.01.2025 तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- उपरैली धनवार/213 के ऑनलाईन पंजी- ॥ के भाग सं०- 01, पृष्ठ सं०- 229 पर दर्ज जमाबंदी में सुधार कर जमाबंदी रैयत का नाम बान्धो कुमारी तथा पति का नाम पियारी मोदी करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	